न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–67/2021/टोंक

सिराज पुत्र गडूल जाति लुहार निवासी सौप तहसील उनियारा जिला टोंक।

–अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार सौप तहसील उनियारा, जिला टोंक।

–रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 01.09.2021 प्रकरण संख्या 15/2020 बउनवानी ''सिराज बनाम नायब तहसीलदार'' में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–

1. अपीलांट अभि0– श्री समीर अहमद
2. राजकीय अभि0– श्री आकाश पारीक

निर्णय **दिनांकः–30.12.2022**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार सोंप जिला टोंक द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत प्रकरण संख्या 698/2019 नम्बर से प्रकरण दर्ज किया जाकर उसे खसरा नम्बर 2871 रकबा 0.02 बारानी पर 2 दुकाने बनाकर नाजायज कब्जे बाबत अतिक्रमी बताया। उक्त प्रकरण में दिनांक 14.10.2019 को नायब तहसीलदार सोंप द्वारा निर्णय किया जाकर अतिक्रमी को बेदखल किया जाने और तीन माह की सिविल कारावास की सजा तथा उससे पैनाल्टी राशि वसूल करने का आदेश जारी किया गया तथा पुख्ता निर्माण को ध्वस्त करने बाबत जिला कलक्टर टोंक को पत्र लिखने की बात कही गई। नायब तहसीलदार सोप के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में की गई। इस बाबत प्रकरण संख्या 15/2020 दर्ज किया गया। इस पर जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 01.09.2021 को निर्णय करते हुए नायब तहसीलदार सोप के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज कर दी। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील न्यायालय हाजा में निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है–

1. अधीनस्थ न्यायालयों ने सिर्फ पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की है। सिर्फ तथ्यों की जानकारी के बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

2. नायब तहसीलदार सोप के न्यायालय में दिनांक 14.10.2019 को अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर समय मांगा गया। उन्हें समय न दिया जाकर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested

3. राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर भूमि नियमन की कार्यवाही करवायी है। ताकि लोगों को पट्टे दिये जा सके। अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार की मंशा के विरूद्ध है। अपीलांट विवादित भूमि पर मकान बनाकर स्थाई रूप से निवास कर रहा है। विधुत कनेक्शन

लिया हुआ है। पी–14 संवत 2065(2008) से यह पुष्टि होती है कि अपीलांट द्वारा मौके पर मकान निर्माण किया हुआ है। यह अंकित किया हुआ है। मगर संवत 2071 में मकान के अंकन को काटकर दुकान अंकित कर दी गई है। अपीलाधीन दोनो आदेश दिनांक 01.09.2021 एवं 14.10.2019 निरस्त किया जायें।

4. अपीलांट द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष वकील सुनी गई।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद दिनांक 06.10.2021 को अंतरिम निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा द्वारा जारी की गई तथा अपीलांट प्रार्थी को गिरफतार नहीं करने का आदेश जारी किया गया।

बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक द्वारा बताया गया कि विवादित खसरा नम्बर 2871 रकबा 0.02 ग्राम सोंप पर अपीलांट के द्वारा 200 वर्गगज क्षेत्रफल में मकान बनाया गया है न कि दुकान। दिनांक 14.10.2019 को उनके द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सोप के समक्ष उपस्थित होकर समय चाहा गया था उसे नहीं दिया जाकर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। विधुत कनेक्शन के बिल प्रस्तुत कर रहा है। सरकार द्वारा नियमित कैम्प लगाये जा रहे है। हमे सुना नहीं गया। खसरा गिरदावरी पी–14 संवत 2059 में मकान बना हुआ है। यह अंकित किया हुआ है। राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि निर्णय विधि अनुसार है। अपीलांट का कोई टाइटल नहीं है। विधुत कनेक्शन से कोई लाभ नही मिल सकता है। अपीलांट चाहे तो दावा करें।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों पर का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। प्रकरण संख्या 667/2019 जिसे बाद में काटकर 698 अंकित किया हुआ है कि न्यायालय प्रोसिडिंग का अवलोकन किया हुआ है। रिपोर्ट पटवारी कब पेश हुई, किस दिनांक को पेश हुई यह न्यायालय प्रोसिडिंग पर अंकित नहीं है। मगर नोटिस जारी करने का अंकन किया हुआ है तथा पत्रावली को दिनांक 14.10.2019 को पेश करने का निर्देश दिया हुआ है। दिनांक 14.10.2019 को अतिक्रमी को सुनकर और पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध कर निर्णय पृथक से लिखवाया गया। उक्त प्रकरण से संबंधित पटवारी रिपोर्ट के अनुसार संवत 2075 में खसरा नम्बर 2871 पर 0.02 हे0 क्षेत्रफल पर दुकान बनाकर अतिक्रमण बताया है। उक्त पटवारी रिपोर्ट किस दिनांक की है। यह कही अंकित नहीं है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पटवारी रिपार्ट प्राप्त होने के बाद नायब तहसीलदार सोप द्वारा दिनांक 27.09.2019 को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त भाग पर अली और सिराज अंकित है तथा बाद तामील पर हिरालाल अंकित है। पटवारी हल्का बयान दिनांक 14.10.2021 मिसल संख्या 667/2019 का अवलोकन किया गया। पटवारी बयान के अनुसार अपीलांट अतिक्रमी के द्वारा व्यसायिक दुकानों पर कब्जा कर रखा है। इस अतिक्रमी ने गत वर्ष भी इसी आराजी पर कब्जा किया था। इसी आधार पर बेदखल किया गया था। परंतु अतिक्रमी ने राजकीय आदेश की अवहेलना कर पुनः पश्चातवृति अतिक्रमण कर लिया है। भूमि सार्वजनिक हित की है तथा अतिक्रमी प्रभावशाली व्यक्ति है। बार बार अतिक्रमण करने का आदि है।

पूर्व वर्ष में अपीलांट अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण [illegible] 62/2018 नम्बर से प्रकरण दर्ज किया गया था। मगर उसे वर्ष अपीलांट अतिक्रमी को मौके से बेदखल किया गया था अथवा नहीं ऐसा कोई दस्तावेज तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में निर्णित करते वक्त उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। सिर्फ मौका रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested

तथा तहसीलदार द्वारा जारी निर्णय दिनांक 05.11.2018 ही पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये है। कोई भी बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये गये है।

यह भी सही है कि अपीलांट को सुनवाई का यथोच्चित अवसर नहीं दिया गया है। ना ही उसे जवाब देने का समय दिया गया है। यह न्यायालय प्रोसिडिंग से स्पष्ट है।

पी–14 ग्राम सोप संवत 2065–75 का अवलोकन किया गया। विवादित खसरा नम्बर पर 0.02 है0 क्षेत्रफल में अपीलांट अतिक्रमी द्वारा 32 गुना 70 वर्गफिट में अतिक्रमण कर मकान निर्माण करा संवत 2065 में अंकित किया हुआ है। उक्त निर्माण दो खसरा नम्बरों मे विस्तारित है। अन्य खसरा नम्बर 2872 दिखाई पड़ता है। संवत 2066 में मकान, 2068 में भी मकान, 2069 में भी मकान, 2070 में भी मकान दर्ज किया जाना बताया गया है। मगर संवत 2071–75 तक मकान की जगह दुकान अंकित किया होना बताया गया है। अपीलांट द्वारा विधुत बिल नम्बर 2113130112979 के0नम्बर 31211313011163 प्रस्तुत किये है। जो मोहम्मद अली के नाम पर दर्ज है। अपीलांट के अनुसार वह उसका भाई है और अपीलांट को जो नोटिस तहसीलदार सोप द्वारा दिया गया था। उसकी तामील पर भी अली के हस्ताक्षर दिखाई पड़ते है।

यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा सिवायचक भूमियों का स्थानांतरण ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु किया जाता रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में विशेष रूप से आबादी विस्तार के कार्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिससे कि ग्रामवासीयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवासीय पट्टे जारी किये जायें या नियमन किया जायें। तहसीलदार को यह करना चाहिए था कि वह उक्त भूमियों को ग्राम पंचायत को स्थानांतरित करने बाबत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवा सके। पी–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2065 से ही अपीलांट अतिक्रमी द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है।

नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही अन्तर्गत प्रकरण संख्या 667/2019(698/2019) निर्णय दिनांक 14.10.2019 में उनके द्वारा अपीलांट अतिक्रमी को 90 दिवस की सजा पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए दी गई है। जबकि उक्त निर्णय से पूर्व प्रकरण संख्या 62/2018 में निर्णय दिनांक 15.11.2018 की पालना में अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल किये बाबत कोई प्रमाण, दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में अपीलांट अतिक्रमी को पश्चातवृति अतिक्रमी किस प्रकार से माना गया है इसका खुलासा नहीं हुआ है। यह आश्चर्यजनक है। न्यायालय का मानना है कि पूर्व प्रकरण 62/2018 में मात्र कागजी कार्यवाही की गई है। जिसके आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार सोप निर्णय दिनांक 14.10.2019 पारित किया गया है और यही बात प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भी मान ली गई है जो उचित नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी का पश्चातवृति अतिक्रमी होना सिद्ध नहीं किया गया है। अपील अपीलांट इसी आधार पर आंशिक रूप स्वीकार योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नायब तहसीदार सोप दिनांक 14.10.2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 667/2019(698/2019) तथ जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक [illegible].2021 प्रकरण संख्या 15/2020 में अपीलांट अतिक्रमी को दी गई तीन माह की सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested